न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 35 सन 2019
अनवान :–

1. रोशनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. अजयसिह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

बनाम

1. देवीलाल पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. शर्मिला पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री माडूराम सहारण अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– **07.02.2019**

Web Copy - Not Official

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 355/339 के प0न0 339/356 (173) के किला न0 5/0.18 बिश्वा ,6/0.18 बिश्वा , 7/1.00 बीधा ,15 /0.18 बिश्वा, प0न0 340/356(174) किला न0 1 ता 15/15.00 बीधा , प0न0 341/356 (175) किला न0 11/1.00 ,प0न0 482/68 की 6 बिश्वा गै0मु0 कुल 20.00 बीधा , खाता संख्या 120/114 के प0न0 334/364 (446) के किला न0 2 ता 25 की 24.00 बीधा प0न0 335/364(447) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21/5.00 बीधा कुल 29.00 बीधा एवं चक 7 केएनएन के प0न0 332/364 (2) के किला न0 6/0.18 ,15/0.18 ,16/0.18, 25/0.18, प0न0 333/365(6) के किला न0 1/0.18 ,10/1.00 प0न0 334/365 (7) के किला न0 1/0.18 ,2/0.18 ,3/0.18 ,4/0.18 ,5/0.18 ,6/1.00 मु0न0 64/28 की 1.00 बीधा गै0मु0रास्ता कुल 12.00 बीधा जिसके वादी के दादा हरलाल खतोदार काश्तकार थे।

वादी के दादा हरलाल के देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्र वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व उनके भाईयों के नाम से दर्ज हुई थी जिन्होने बाहमी बटवारा करने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 216/170 के प0न0 व मु0न0 0 के किला न0 0/11 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 339/354(119) के किला न0 3/0.2140हैक , किला न0 4/0.2140हैक , 7 ,8/0.506हैक , प0न0 340/356(174) के किला न0 5 ता 10/1.518हैक , प0न0 334/364(446) के किला न0 2/0.253 , किला न0 9 ता 12/1.0120हैक 19 ता 22/1.0120हैक कुल 2.2770हैक कुल 4.8050हैक भूमि स्थित है चक 7 केएनएन के खाता संख्या 42/46 के प0न0 333/364 (2) के किला न0 6/0.2280 ,15/0.2280 ,16/0.2280 ,25/0.2270 ,कुल 0.9110हैक प0न0 334/365(7) के किला न0 1/0.2280 ,2/1 की 0.1260हैक कुल 0.3540हैक प0न0 0 मु0न0 69/28 के किला न0 0 की 0.1520हैक भूमि गै0मु0 रास्ता कुल 1.4170हैक भूमि प्राप्त हुई है विरास्तन से उक्त भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी

एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजरव रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 216/170 के प0न0 व मु0न0 0 के किला न0 0/11 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 339/354(119) के किला न0 3/0.2140हैक , किला न0 4/0.2140हैक , 7 ,8/0.506हैक , प0न0 340/356(174) के किला न0 5 ता 10/1.518हैक , प0न0 334/364(446) के किला न0 2/0.253 , किला न0 9 ता 12/1.0120हैक 19 ता 22/1.0120हैक कुल 2.2770हैक कुल 4.8050हैक भूमि स्थित है चक 7 केएनएन के खाता संख्या 42/46 के प0न0 333/364 (2) के किला न0 6/0.2280 ,15/0.2280 ,16/0.2280 ,25/0.2270 ,कुल 0.9110हैक प0न0 334/365(7) के किला न0 1/0.2280 ,2/1 की 0.1260हैक कुल 0.3540हैक प0न0 0 मु0न0 69/28 के किला न0 0 की 0.1520हैक भूमि गै0मु0 रास्ता कुल 1.4170हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official